न्यायदर्शन में शास्त्रप्रवृत्ति - 1

B.A.(H) II Year

Paper - 3, Unit - II Lecture - 5

डॉ० विकास सिंह

'उद्देश, पदार्थों के लक्षण, तथा उनका यह लक्षण हो सकता है या नहीं है ऐसी परीक्षा इस प्रकार यह शास्त्र तीन विषयों के कथनार्थ तीन प्रकार से प्रवृत्त हुआ है।'[1] 'तात्पर्यटीकाकार' ने दो सूत्रों में प्रमाणादि पदार्थों के तत्वज्ञान के साथ निःश्रेयस का सम्बन्ध बताया है। इस पर आक्षेप हो सकता है कि प्रमाणादि पदों से कथित षोडश पदार्थों का तत्त्वज्ञान होने से मिथ्या-ज्ञान की निवृत्ति होकर क्रम से मुक्ति होने का ज्ञान जब दो सूत्रों से तथा उनके भाष्य से हो सकता है, तो अग्रिम ग्रन्थ की आवश्यकता क्या है? इस आक्षेप के समाधानार्थ भाष्यकार ने त्रिविध शास्त्र प्रवृत्ति कही है। जिससे केवल पदार्थों के नाममात्र के कथन से प्रमाणादि पदार्थों का तत्वज्ञान नहीं हो सकता। किन्तु उनका लक्षण तथा उन लक्षणों की परीक्षा करने का भी तत्वज्ञान होना आवश्यक है।'[2] त्रिविध शास्त्रप्रवृत्ति क्रमशः निम्न प्रकार है-

① उद्देश - न्यायभाष्य में उद्देश का लक्षण दिया गया है-

"नामधेयेन पदार्थमात्रस्याऽभिधानमुद्देशः।"[3]

अर्थात् नाम से केवल पदार्थ के कथन को उद्देश कहते हैं।

1- न्यायभाष्य, प्रकाशिका हिन्दीव्याख्या, पृ० - 22

2- 'तदेवं प्रमाणादिपदार्थतत्त्वज्ञानस्य निःश्रेयस्य संबन्ध उक्तः परीक्षितश्च। तत्रैतत् स्यात् स्वपदेभ्यः प्रमाणादयः पदार्थास्तत्त्वतो ज्ञाता यथायथं मिथ्याज्ञानादिनिवृत्तिक्रमेणापवर्गे उपयोक्ष्यन्ते, कृतमुपरितनेन प्रबन्धनेन इत्यत उक्तं भाष्यकृता - त्रिविधा चास्येति। न नामधेयमात्रात् प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानं भवति, अपि तु लक्षणपरीक्षाभ्यामित्यस्ति प्रबन्धस्योत्तरस्योपयोग इति भाष्यार्थः। तदेतद्भाष्यमनुभाष्य पृच्छति - प्रवृत्तिरिति।'

↳ न्या.वा.ता.टी., पृ० 77

3- न्या.भा., पृ० - 22

न्यायदर्शन की शास्त्रप्रवृत्ति - 1

B.A. (H) II Year

Paper - 3, Unit (I)

डॉ० विकास सिंह

न्यायमञ्जरीकार जयन्तभट्ट ने उद्देश को परिभाषित किया है -

"नामधेयेन पदार्थाभिधानमुद्देशः।"[1]

तर्कभाषाकार केशवमिश्र ने कहा है -

"उद्देशस्तु नाममात्रेण वस्तुसंकीर्तनम्।"[2]

अर्थात् नाम मात्र से वस्तु का कथन करना। जब किसी वस्तु के सम्बन्ध में और कुछ न कहकर केवल उसके नाममात्र का ही कथन किया जाता है तब वह कथन उस वस्तु का उद्देश कहा जाता है।

श्रीबदरीनाथ शुक्ल 'इस लक्षण की व्याख्या में कहते हैं कि यदि उद्देश के लक्षण में से 'वस्तु' शब्द को निकाल दिया जाये तो नाममात्र का संकीर्तन इतना शेष रहेगा। तब यदि प्रमाणादि शब्द स्वरूपमात्र-परक होंगे तो प्रमाण आदि शब्दों का वह स्वरूप निर्देश भी प्रमाणादि का उद्देश कहा जाने लगेगा। अतः एव वस्तु शब्द लगाने से वह नाम-मात्र का कथन होगा, वस्तु-प्रमाणादि का नहीं।

यदि 'नाममात्रेण' पद निकाल दे तो वस्तु का कथन भी वस्तु संकीर्तनरूप होने से उद्देश कहलाने लगेगा। मात्र पद इसलिए जोड़ा गया है ताकि नाम व लक्षण दोनों के सम्मिलित कथन में उद्देश लक्षण की अतिव्याप्ति न हो।'[3]

साररूप में यदि कहा जाये तो उद्देश में किसी वस्तु के नाम का स्वरूपकथन मात्र नहीं होता, उसके लक्षण आदि का कथन नहीं होता और न किसी वस्तु-अन्तर के नाम से कथन होता है, किन्तु जिस वस्तु का जो प्रसिद्ध नाम होता है, उस नाम मात्र से उस वस्तु का कथन होता है। उदाहरण के तौर पर न्यायदर्शन का प्रथम सूत्र[4] उद्देश कथन मात्र है। क्योंकि इसमें न्याय के प्रमाणादि 16 पदार्थों का कथन है जिनके तत्वज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है।

1- न्या. म., पृ० 34

2- त. भा., पृ० 4

3- त. भा., पृ० - 4-5

4- "प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभास च्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगमः।" न्या. सूत्र 1.1.1